राजस्थान सरकार
निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएँ
2 जलपथ, गांधी नगर, जयपुर

क्रमांक :F 26(4)(29) WIFS/IEC/ICDS/2014/ 164238 - 574 दिनांक : 11/9/18

उप निदेशक
महिला एवं बाल विकास विभाग,
समस्त (राजस्थान)

बाल विकास परियोजना अधिकारी,
समेकित बाल विकास सेवाएं,
समस्त (राजस्थान)

विषयः–WIFS/NIPI की नीली गोलियां एवं IFA Syrup का आंगनबाडियों तक वितरण करने की कार्य प्रणाली को सुदृढ़ करने हेतु।
प्रसंगः– चिकित्सा, स्वास्थ्य एंव प.क.विभाग के पत्र क्रमांक 946 दिनांक 30.08.2018

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं चिकित्सा विभाग के पत्र की छाया प्रति संलग्न कर लेख है कि राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम (RMSCL) द्वारा जिलों के जिला औषधि भण्डार (DDW) को यह दवाईया उपलब्ध कराई जाती है जहां से ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा महिला एवं बाल विकास विभाग के सीडीपीओं से सामंजस्य करके अपने क्षेत्र की आंगनबाडियों में (11 से 19 वर्ष की स्कूल नहीं जाने वाली किशोरी बालिकाओं के लिए नीली गोली एवं 6 से 60 माह तक के बच्चों के लिये IFA Syrup) आपूर्ति करवाई जाती है परन्तु इस प्रणाली द्वारा आंगनबाडियों तक (नीली गोली एवं IFA Syrup) की उपलब्धता नहीं हो पा रही है परिणाम स्वरूप WIFS एवं NIPI कार्यक्रम का कवरेज अत्याधिक कम प्राप्त हो रहा है।

वर्तमान व्यवस्था में आ रही कमी को दूर करने हेतु स्वास्थ्य विभाग के अधीन चिकित्सा अधिकारी प्रभारी PHC/CHC द्वारा एएनएम को देते हुए आशा व आंगनबाडी कार्यकर्ता तक नीली गोली एवं IFA Syrup उपलब्ध करवाये जाने की नवीन व्यवस्था चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा की गई है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि अपने क्षेत्र की संबंधित एएनएम से समन्वय स्थापित कर समस्त आंगनबाड़ी केन्द्रों पर WIFS/NIPI नीली गोली व IFA Syrup की पूर्ण आपूर्ति सुनिश्चित करावें। साथ ही आंगनबाडी कार्यकर्ता व आशाओं को निर्देशित करें कि संबंधित एएनएम से प्राप्त कर समस्त लाभार्थियों को लाभान्वित करावें व संबंधित रिकार्ड संधारित करावें।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

निदेशक
समेकित बाल विकास सेवाए
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक :F 26(4)(29) WIFS/IEC/ICDS/2014/ 164575 - 577 दिनांक : 11/9/18

प्रतिलिपिः–निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, महिला एंव बाल विकास विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं प.क.व, मिशन निदेशक, एनएचएम, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, जयपुर
3. एसीपी (उप निदेशक), मुख्यालय को विभागीय वैबसाईट पर अपलोड करने हेतु ।

अतिरिक्त निदेशक (आई)
समेकित बाल विकास सेवाएँ,
राजस्थान जयपुर

राजस्थान सरकार
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, राजस्थान
चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, स्वास्थ्य भवन,
तिलक मार्ग, राजस्थान, जयपुर

F.21 (2)/NHM/WIFS/NIPI/2018/946

Date 30/8/18

निदेशक,
निदेशालय महिला एवं बाल विकास विभाग,
राजस्थान सरकार जयपुर।

विषयः– WIFS/NIPI की नीली गोलियों एवं IFA Syrup का आंगनबाडीयों तक वितरण करने की कार्य प्रणाली को सुदृढ़ करने हेतु।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि WIFS एवं NIPI कार्यक्रम मे शिक्षा व महिला बाल विकास विभाग द्वारा अद्योहस्ताक्षरकर्ता को अत्यधिक कम कवरेज रिपोर्ट प्राप्त हुई है जिसका एक मुख्य कारण सम्बन्धित स्कूलों व आंगनबाडीयों के पास WIFS/NIPI की नीली व गुलाबी गोलीया एवं IFA Syrup की उपलब्धता नही होना है जिसके कारण लाभार्थीयों को लाभान्वित नही किया जा रहा है।

वर्तमान मे विभाग के राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम (RMSCL) द्वारा जिलों के जिला औषधि भण्डार (DDW) को यह दवाईया उपलब्ध कराई जाती है जहां से ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा महिला एवं बाल विकास विभाग की CDPO से सामंजस्य करके अपने क्षेत्र की आंगनबाडीयों मे (11 से 19 वर्ष की स्कूल नहीं जाने वाली किशोरी बालिकाओ के लिये नीली गोली एवं 6 से 60 माह तक के बच्चों के लिये IFA Syrup) आपूर्ति करवाई जाती है परन्तु इस प्रणाली द्वारा आंगनबाडीयों तक (नीली गोली एवं IFA Syrup) की उपलब्धता नही हो पा रही है परिणाम स्वरूप WIFS एवं NIPI कार्यक्रम का कवरेज अत्यधिक कम प्राप्त हो रहा है।

वर्तमान व्यवस्था मे आ रही कमी को दूर करने हेतु स्वास्थ्य विभाग के अधीन चिकित्सा अधिकारी प्रभारी PHC/CHC द्वारा एएनएम को देते हुये आशा एव आंगनबाडी कार्यकर्ता तक नीली गोली एवं IFA Syrup उपलब्ध करवाया जाना प्रस्तावित है ताकि आंगनबाडीयों तक WIFS की नीली गोली एवं IFA Syrup की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके।

इस हेतु आपसे आग्रह है कि इस नवीन प्रणाली को अपनाने की सहमति प्रदान करें ताकि दोनो विभागों के सामंजस्य से इस कार्यप्रणाली का प्रयोग सुदृढ तरीके से करके अधिक से अधिक लाभार्थीयों को लाभान्वित कर कार्यक्रम को सफल बनाया जा सके।

शासन सचिव
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं प.क.व
मिशन निदेशक, एनएचएम

F.21 (2)/NHM/WIFS/NIPI/2018/ 946

Date 30/8/18

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. निजी सचिव, अति0 मुख्य सचिव, चिकि0 स्वा0 एवं प0क0 विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव एवं मिशन निदेशक (एनएचएम)।
3. निजी सचिव, शासन सचिव महिला एंव बाल विकास विभाग राजस्थान जयपुर।
4. निजी सचिव, निदेशक महिला बाल विकास विभाग जयपुर।
5. निजी सहायक, आरसीएच मुख्यालय जयपुर।
6. अतिरिक्त निदेशक, आरसीएच।
7. अतिरिक्त निदेशक, आईसीडीएस चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राजस्थान जयपुर।
8. परियोजना निदेशक–शिशु स्वास्थ्य, एनएचएम।
9. नोडल अधिकारी विफ्स/निप्पी, महिला एंव बाल विकास विभाग राजस्थान जयपुर।
10. प्रभारी सर्वर रूम।

निदेशक (आर.सी.एच.)
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं प.क.
राजस्थान जयपुर।